# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

**पत्र संख्या- 334/2026** **दिनांक- 25.08.2026**

## प्रेस विज्ञप्ति

**थाना तरवां, जनपद आजमगढ़**

☐ शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने का आरोपी गिरफ्तार

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-**

वादिनी मुकदमा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विनय यादव पुत्र राम सेवक यादव, निवासी ग्राम समसुद्दीनपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा बाद में शादी करने से इंकार कर दिया गया। तहरीर के आधार पर दिनांक 24.08.2026 को थाना तरवां पर मु0अ0सं0-180/2026 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 25.08.2026 को उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त **विनय यादव पुत्र राम सेवक यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम समसुद्दीनपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़** को खरिहानी चौराहे से आगे आजमगढ़ मार्ग पर सड़क किनारे से समय करीब **10:30 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0-180/2026, धारा 69 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

विनय यादव पुत्र राम सेवक यादव, निवासी ग्राम समसुद्दीनपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र 20 वर्ष।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 उपेन्द्र कुमार, का0 अतुल सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

**थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़**

☐ नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में सह अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-**

दिनांक 01.07.2026 को वादिनी मुकदमा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के घरेलू सामान लेने दुकान जाने के बाद वापस न आने के संबंध में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-287/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा **87/65(1)/61(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

**गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-**

दिनांक 25.08.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 जाफर खांन मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित **सह अभियुक्त जिया यादव पुत्र स्व0 रामाश्रय यादव, निवासी बीबीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष** को लाटघाट-रौनापार रोड नहर पुलिया के पास से समय करीब **09:00 बजे** पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0-287/2026 धारा 137(2)/87/65(1)/61(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 जाफर खांन, रि0का0 विशाल श्रीवास्तव, रि0का0 अनूप सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

**थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़**

**□ सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी व दबंगई का प्रदर्शन करने वाले युवक पर "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत कार्रवाई**

**□ वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर युवक को पुलिस हिरासत में लिया गया**

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई एवं यातायात नियमों का उल्लंघन कर स्टंटबाजी का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक मोटरसाइकिल से स्टंटबाजी एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करता दिखाई दिया। जांच में वीडियो पोस्ट करने वाले युवक की पहचान निखिल वर्मा पुत्र बृजपाल सेठ, निवासी पुरानी कोतवाली, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 25.08.2026 को उक्त युवक को पुलिस हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर दबंगई, स्टंटबाजी एवं गैंग संस्कृति का प्रदर्शन कर आमजन में भय या असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

पुलिस टीम-
प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली
उ0नि0 सागर कुमार रंगू, साइबर प्रभारी
का0 नीरज कुमार, साइबर टीम

**थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़**

**□ पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में एक वांछित गिरफ्तार**

**□ जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में हुई कार्रवाई**

आजमगढ़। थाना कप्तानगंज पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम डिहवा कुशमहरा निवासी राधेश्याम ने 22 जनवरी 2026 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश को लेकर कई लोगों ने उसके घर में घुसकर लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से उसके परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें हरेन्द्र पुत्र राधेश्याम गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। मामले में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-27/2026 दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। इसी मामले में वांछित रामचन्द्र पुत्र रामचेत, निवासी कुशमहरा, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ को पुलिस ने 25 अगस्त को उसके घर से करीब 11:10 बजे गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध धारा 3(5), 109(1), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उ0नि0 रामनिहाल वर्मा एवं का0 लोकेश पाण्डेय शामिल रहे।

**थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़**

**□ किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

**□ वांछित अभियुक्त की रूपयनपुर नहर पुलिया के पास से हुई गिरफ्तारी**

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-
थाना महराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-252/2025 में अभियुक्त अंकित निषाद पुत्र शिजोर निषाद, निवासी मोलनापुर (बढ़नपुर), थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने, उसके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 65(1) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।
गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.08.2026 को उ0नि0 ओमकार तिवारी मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त अंकित निषाद पुत्र शिजोर निषाद, उम्र करीब 23 वर्ष को रूपयनपुर नहर पुलिया के पास से समय करीब 11:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-252/2025 धारा 115(2)/351(3)/137(2)/87/65(1) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त-
अंकित निषाद पुत्र शिजोर निषाद, निवासी मोलनापुर (बढ़नपुर), थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश, उ0नि0 ओमकार तिवारी, का0 दिनेश कुमार, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

**थाना बरदह, जनपद आजमगढ़**

**□ साइबर फ्रॉड के ₹13,000/- पीड़ित के खाते में वापस कराए गए**

**□ एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत के बाद साइबर हेल्प डेस्क टीम ने की त्वरित कार्रवाई**

**□ माननीय न्यायालय के फंड रिलीज ऑर्डर के अनुपालन में कराई गई धनराशि वापसी**

पूर्व की घटना-

दिनांक 20.10.2025 को साजिद अंसारी पुत्र निसार अहमद, निवासी राजेपुर, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के मोबाइल फोन को हैक कर खाते से ₹13,000/- का साइबर फ्रॉड किया गया था। पीड़ित द्वारा दिनांक 21.11.2025 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 23111250188111 दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर फ्रॉड की धनराशि अभियुक्त के बैंक खाते में होल्ड कराई गई।

साइबर हेल्प डेस्क थाना बरदह द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के फंड रिलीज ऑर्डर के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय कर पीड़ित के खाते में ₹13,000/- की पूरी धनराशि वापस करा दी गई।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 मनीष सिंह, म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह

**थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़**

**□ नकल माफिया/सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

**□ सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने स्थान पर सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने का आरोप**

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 30.10.2025 को गांधी इण्टर कॉलेज कूबा, आजमगढ़ में डी0एल0एल0 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान अनुक्रमांक 7090142259 पर हवलदार यादव के स्थान पर फर्जी परीक्षार्थी मोनू यादव परीक्षा देते हुए पाया गया। चेकिंग के दौरान फर्जी परीक्षार्थी आधार कार्ड दिखाने से पहले विद्यालय की बाउंड्री फांदकर भागने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा पकड़ लिया गया। इस संबंध में थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0-107/2025 उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 25.08.2026 को विवेचना के दौरान अभियुक्त हवलदार यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, निवासी ग्राम भेडियाधर, थाना चिरईयाकोट, जनपद मऊ, उम्र करीब 28 वर्ष को पूछताछ के उपरान्त समय करीब 11:10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

अपराध का तरीका- सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने स्थान पर सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाना।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-107/2025 धारा 338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस व 3/6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हवलदार यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, निवासी ग्राम भेडियाधर, थाना चिरईयाकोट, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार पाल, रि0का0 पंकज यादव, थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।